[2022] 6 एस. सी. आर 1121

ए.

राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्राइब्यूनल बार संगठन

वी.

भारत का संघ

(2022 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 180) 1 अगस्त, 2022

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]**

कंपनी अधिनियम, 2013:s.413-सदस्यों की नियुक्ति-कार्यकाल में संशोधन-20 सितंबर 2019 को निगम कार्य मंत्रालय ने तीन साल के कार्यकाल के लिए एन. सी. एल. टी. के सदस्यों के रूप में 28 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की-एन. सी. एल. टी. बार एसोसिएशन ने रिट याचिका दायर कर एन. सी. एल. टी. के सदस्यों की नियुक्ति के कार्यकाल को तीन से पांच साल में बदलने की मांग की-याचिकाकर्ता की याचिका कि अधिसूचना एस. के प्रावधानों के विपरीत थी।413 जो पांच साल की अवधि के लिए निर्धारित करता है-केंद्र सरकार ने कहा कि तीन साल की अवधि के लिए सदस्यों की नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और नियुक्ति से पहले, सदस्यों को तीन साल के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था-प्रस्ताव के अनुसार, सदस्य एन. सी. एल. टी. में शामिल हुए-इसलिए, यह आग्रह किया गया था कि जब सदस्यों ने कोई शिकायत नहीं उठाई है तो बार एसोसिएशन को नियुक्ति की अवधि पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है-29 मार्च 2022 को, एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को एक संदेश में कहा कि 23 सदस्यों का कार्यकाल जून-जुलाई 2022 में समाप्त हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप रिक्तियां एन. सी. एल. टी. के "अखिल भारतीय कामकाज" में कठिनाइयां पैदा करेंगी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

सदस्यों की उपयुक्तता, केंद्र सरकार "मामले में उचित कार्रवाई" कर सकती है-उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा 14 जून 2022 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके द्वारा दो न्यायिक सदस्यों और छह तकनीकी सदस्यों के कार्यकाल को पांच साल की अवधि के लिए या एस के प्रावधानों के अनुरूप 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक संशोधित करने के लिए मंजूरी दी गई थी।413 अधिनियम 2013-चयन समिति ने चयन की प्रक्रिया शुरू की-चयन के लिए जिन रिक्तियों को संसाधित किया जा रहा है, उनमें 20 सितंबर 2019 को नियुक्त किए गए सदस्यों के तीन साल के कार्यकाल की समाप्ति पर उत्पन्न होने वाली रिक्तियां शामिल हैं-किसी भी राहत का अनुदान चल रही चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगा-याचिकाकर्ता की याचिका कि अधिसूचना एस के प्रावधानों के विपरीत थी।413 जो पांच साल की अवधि के लिए निर्धारित करता है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन लोगों द्वारा याचिका दायर की गई थी जो एन. सी. एल. टी. के सदस्य नहीं हैं-विस्तार के लिए अनुरोध एक विलंबित चरण में पूछा गया था जब सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के करीब था-न केवल सदस्यों ने तीन साल की अवधि के लिए पद को जानबूझकर स्वीकार किया था, चयन समिति ने पहले ही सरकार को प्रदर्शन रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था-तदनुसार, केंद्र सरकार ने 14 जून 2020 को दो न्यायिक और छह तकनीकी सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी-इसके अलावा, वर्तमान परिस्थितियों में, एन. सी. एल. टी. के सदस्यों की नई नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और आंशिक रूप से एक उन्नत चरण में है-इसलिए, कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है-आगे की नियुक्तियां करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।413 कंपनी अधिनियम।

बी.

सी.

डी.

ई.

याचिका का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

एफ.

पकड़ना:**1.** संविधान के अनुच्छेद **32** के तहत ये कार्यवाही राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू की गई है।याचिकाकर्ता का तर्क है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा **28**

उम्मीदवारों को तीन साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्त करने के लिए **20** सितंबर **2019** को जारी अधिसूचना कंपनी अधिनियम **2013** की धारा **413** के प्रावधानों के विपरीत है।उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार**,** केंद्र सरकार द्वारा **14** जून **2022** को ए मंत्रालय में एक अधिसूचना जारी की गई थी।

जी.

एच.

1123

राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ ए

निगमित मामले जिनके द्वारा दो न्यायिक सदस्यों और छह तकनीकी सदस्यों के कार्यकाल को पांच साल की अवधि के लिए या कंपनी अधिनियम **2013** की धारा **413** के प्रावधानों के अनुरूप **65** वर्ष की आयु प्राप्त करने तक संशोधित करने के लिए मंजूरी दी गई थी।**[**पैरा **1,2,12] [1124-**सी**-**डी**; 1127-**ए**-**डी**]**

2. वर्तमान मामले में**,** नियमों या क़ानून के प्रावधानों को कोई चुनौती नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने इसके बजाय सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की है**,** जो इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए पक्षकारों को याचिका नहीं दे रहे हैं। विस्तार के लिए प्रार्थना भी एक विलंबित चरण में है जब सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है।सदस्यों ने न केवल तीन साल की अवधि के लिए इस पद को जानबूझकर स्वीकार किया था**,** बल्कि चयन समिति ने पहले ही सरकार को प्रदर्शन रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।केंद्र सरकार ने तदनुसार दो न्यायिक और छह तकनीकी सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए **14** जून **2020** को अधिसूचना जारी की है।इसके अलावा**,** वर्तमान परिस्थितियों में**,** एन**.** सी**.** एल**.** टी**.** के सदस्यों की नई नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और आंशिक रूप से एक उन्नत चरण में है।तदनुसार**,** वर्तमान स्तर पर इस न्यायालय के आदेश चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेंगे।इसलिए**,** वर्तमान मामले में अपनाई जाने वाली उचित कार्रवाई यह होगी कि चयन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी जाए ताकि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।बार एसोसिएशन**,** जिसने इन कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया है**,** का हित यह है कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को शीघ्रता से भरा जाना चाहिए ताकि काम प्रभावित न हो और न्यायाधिकरण के कामकाज में बाधा न आए।बार एसोसिएशन के पास इस संबंध में कोई विकल्प नहीं हो सकता है कि ट्रिब्यूनल का सदस्य कौन होना चाहिए।हालाँकि**,** इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि भविष्य में एन**.** सी**.** एल**.** टी**.** में नियुक्तियाँ करने में**,** केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम **2013** की धारा **413** में सन्निहित वैधानिक प्रावधानों से बाध्य होगी।**[**पारस **24,26,27] [1130-**ई**-**जी**; 1131-**सी**-**डी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2022 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 180।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

एच.

1124

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 6 एस सी आर।

डॉ. वी. के. चौधरी, संजीव सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सौरभ कालिया, सिखिल सूरी, मनुस्मिर सिंह, समीर चौधरी, सुश्री मनीषा चौधरी, एस. स्वरूप, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

बलबीर सिंह, ए. एस. जी., अंकुर तलवार, रजत नायर, सुश्री चिन्मायी चंद्र, राजन के. चौरसिया, अरविंद कुमार शर्मा, कुमार अनुराग सिंह, आनंदो मुखर्जी, सुश्री तुलिका मुखर्जी, जैन ए. खान, सुश्री एकता भारती, पवनश्री अग्रवाल, शौभिक गुप्ता, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सी.

1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये कार्यवाही राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू की गई है।2. याचिकाकर्ता का तर्क है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा तीन साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण 2 के सदस्यों के रूप में 28 उम्मीदवारों की नियुक्ति के

लिए 20 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना एस. ओ. 3412 (ई) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 413 के प्रावधानों के विपरीत है।कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 413 की उप-धारा (1) में कहा गया है किः

डी.

“413 अध्यक्ष, अध्यक्ष और अन्य का कार्यकाल

ई.

सदस्य।- (1) न्यायाधिकरण का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा, लेकिन पांच साल की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।”

मद्रास में इस न्यायालय के फैसलों पर भी भरोसा रखा गया है।

एफ.

बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 3 मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 4 और रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।5

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, एन. सी. एल. टी. के न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों में पांच साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है।हालाँकि, विवादित अधिसूचना जो 20 सितंबर को जारी की गई थी

जी.

1 “आक्षेपित अधिसूचना "2" NCLT "

3 (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 463; "मद्रास बार एसोसिएशन (2021)" 4 2021 (7) एससीसी 369; "मद्रास बार एसोसिएशन (2020)"

5 2018 (16) एससीसी 341 ए

एच.

ए.

2019, तीन वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है।

4. याचिकाकर्ता का आग्रह है कि दूसरी ओर, 28 जुलाई 2016,11 सितंबर 2021 और 10 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार द्वारा एन. सी. एल. टी. के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, प्रत्येक पांच साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो पहले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 413 के प्रावधानों के अनुरूप थी।

बी.

5. संक्षेप में, इसलिए याचिकाकर्ता की ओर से जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि तीन साल की अवधि निर्धारित करने वाली विवादित अधिसूचना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 413 (1) के प्रावधानों के विपरीत है।इसलिए याचिकाकर्ता नियुक्ति की अधिसूचना को सही करके एन. सी. एल. टी. के सदस्यों की नियुक्ति के कार्यकाल को तीन साल से बदलकर पांच साल करने का अनुरोध करता है।6. इन कार्यवाही में 5 अप्रैल 2020 को नोटिस जारी किया गया था।

सी.

डी.

7. 20 जून 2022 को, याचिका इस न्यायालय की एक पीठ के समक्ष आई जब निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

“याचिकाकर्ता और भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि अन्य बातों के साथ-साथ, इस मामले में दो मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है।सबसे पहले, यह याचिकाकर्ता बार एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र के सवाल के संबंध में है कि वह दिनांकित 20.09.2019 अधिसूचना को चुनौती दे, जिसके तहत 23 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, जिसे अब प्रत्यर्थी द्वारा उठाया गया है।दूसरा मुद्दा नियुक्ति की अवधि से परे पद पर बने रहने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के अधिकार के संबंध में है, जब उन्होंने वर्ष 2019 में बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया और अब तक तीन साल की नियुक्ति की अवधि के प्रतिबंध के खिलाफ कोई चुनौती नहीं दी है।याचिकाकर्ता संघ का तर्क होगा कि यदि मामला नहीं उठाया जाता है और अंतरिम आदेश पारित नहीं किए जाते हैं, तो कम से कम कुछ नियुक्तियों को नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के कारण पद छोड़ना होगा।

ई.

एफ.

जी.

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित अधिसूचना के तहत अब तक किसी भी नियुक्त व्यक्ति ने इसे चुनौती नहीं दी और इसे खुली आंखों से स्वीकार नहीं किया, अब कोई अंतरिम

आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।हमारा विचार है कि उपरोक्त अधिसूचना के बल पर तीन साल की अवधि से आगे बने रहने के उनके अधिकार से संबंधित मामले

एच.

1126

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 6 एस सी आर।

रिट याचिका में भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि लोकस स्टैंडी के मुद्दे का जवाब याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया जाए।20 जुलाई, 2022 को उपयुक्त पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करें।”8. केंद्र सरकार ने इन कार्यवाही में एक हलफनामा दायर कर इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

बी.

9. याचिका की व्यवहार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई गई है।केंद्र सरकार ने कहा है कि तीन साल की अवधि के लिए एन. सी. एल. टी. के सदस्यों की नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी दी गई थी और नियुक्ति से पहले सदस्यों को तीन साल के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था।प्रस्ताव के अनुसार, सदस्य विवादित अधिसूचना के अनुसरण में एन. सी. एल. टी. में शामिल हुए।इसलिए, यह आग्रह किया गया है कि जब सदस्यों ने कोई शिकायत नहीं की है तो बार एसोसिएशन को नियुक्ति की अवधि पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है।

सी.

10. एन. सी. एल. टी. के सदस्यों के चयन के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया। चयन समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश ने की थी।29 मार्च 2022 को, एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए लिखा कि 23 सदस्यों का कार्यकाल जून-जुलाई 2022 में समाप्त हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप रिक्तियां एन. सी. एल. टी. के "अखिल भारतीय कामकाज" में कठिनाइयां पैदा करेंगी। एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि चयन प्रक्रिया में विचार-विमर्श के दौरान संभावित रिक्तियों को शामिल किया जा सकता है।चयन समिति की बैठक 20 अप्रैल 2022 को बुलाई गई थी। कार्यसूची मद संख्या 2 से संबंधित कार्यवृत्त नीचे दिए गए हैं:

डी.

ई.

“ कार्यसूची मद सं. 2

एफ.

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के अध्यक्ष द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव को संबोधित डी. ओ. पत्र संख्या 1/1/2022-एन. सी. एल. टी. को उनके द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में चयन समिति के समक्ष रखा गया था।एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष ने उक्त पत्र में कहा है कि एन. सी. एल. टी. के 23 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों का 3 साल का निर्धारित कार्यकाल जून/जुलाई 2022 में समाप्त हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप संभावित रिक्तियां पूरे देश में एन. सी. एल. टी. की पीठों के कामकाज में कठिनाई पैदा करेंगी।उक्त 23 सदस्यों की नवीनतम चरित्र और पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट भी संयोजक द्वारा समिति के समक्ष रखी गई थी।"

जी.

एच.

1127

राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]
ए.

ए.

चयन समिति की 6 जून 2022 को फिर से बैठक हुई।एजेंडा आइटम नंबर 2 एन. सी. एल. टी. के 23 सदस्यों की निरंतरता से संबंधित था, जिनका तीन साल का कार्यकाल समाप्त होना था।कार्यसूची मद संख्या 2 से संबंधित कार्यवृत्त नीचे दिए गए हैं:

" कार्यसूची मद सं. 2

बी.

20 अप्रैल, 2022 को आयोजित समिति की पिछली बैठक के प्रस्ताव के अनुसार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव ने एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष से 23 सदस्यों के कार्य प्रदर्शन और उपयुक्तता के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त की और बैठक के दौरान इसे समिति के समक्ष रखा। मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, समिति ने कहा कि नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो समिति को सदस्यों के पद के कार्यकाल के संशोधन के मुद्दे पर विचार करने का अधिकार देता है।

सी.

11. उपरोक्त विवरण से, ऐसा प्रतीत होता है कि 20 अप्रैल 2022 को चयन समिति की बैठक के बाद, 23 सदस्यों के "कार्य प्रदर्शन और उपयुक्तता" के बारे में एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष से एक रिपोर्ट प्राप्त की गई थी।चयन समिति ने तब राय दी कि ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो उसे एन. सी. एल. टी. के सदस्यों के कार्यकाल को संशोधित करने के मुद्दे

पर विचार करने का अधिकार देता हो। समिति ने हालांकि कहा कि एन. सी. एल. टी. के सदस्यों के कार्यों और कर्तव्यों की संवेदनशील प्रकृति पर विचार करते हुए, और सदस्यों के चरित्र, पूर्ववृत्त, प्रदर्शन और उपयुक्तता पर आधारित सत्यापन रिपोर्टों पर विचार करते हुए, केंद्र सरकार "मामले में उचित कार्रवाई" कर सकती है।

डी.

ई.

12. उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा 14 जून 2022 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके द्वारा दो न्यायिक सदस्यों और छह तकनीकी सदस्यों के कार्यकाल को पांच साल की अवधि के लिए या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 413 के प्रावधानों के अनुरूप 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक संशोधित करने की मंजूरी दी गई थी।

एफ.

13. सुनवाई के दौरान, इस अदालत को केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि एन. सी. एल. टी. में 30 रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से, चयन समिति ने 20,21 और 22 जून 2022 को सूचीबद्ध उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत बातचीत की और 15 रिक्तियों के संबंध में अपनी सिफारिशें की हैं।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है और नियुक्ति के आदेश चार से छह सप्ताह में जारी किए जाएंगे।

जी.

एच.

14. 15 रिक्तियों की दूसरी किश्त के संबंध में, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में चयन समिति ने निर्देश दिया है कि रिक्तियों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया जाए।आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2022 है।उपरोक्त रिक्तियों में वे रिक्तियां शामिल होंगी जो विवादित अधिसूचना के अनुसार नियुक्त किए गए सदस्यों के तीन साल के कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं।वास्तव में, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह कहा गया है कि विवादित अधिसूचना के अनुसरण में नियुक्त किए गए कुछ सदस्यों ने चयन के लिए आवेदन किया है और उनकी उम्मीदवारी पर भी

विचार किया जाएगा।15. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 413 (1) में कहा गया है कि न्यायाधिकरण के सदस्य का कार्यकाल उसके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल का होगा।एक सदस्य पाँच साल के एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है।एन. सी. एल. टी. के सदस्य के लिए, धारा 413 की उप-धारा 2 (बी) द्वारा पद धारण करने के लिए ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है।

बी.

सी.

डी.

16. याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा विवादित अधिसूचना द्वारा शासित 23 सदस्यों की नियुक्ति की अवधि में संशोधन के लिए एक रिट जारी करने का अनुरोध करता है, जिनका कार्यकाल जून/जुलाई 2022 में समाप्त हो रहा था, तीन साल से पांच साल तक।

17. तीन साल की अवधि के लिए एन. सी. एल. टी. के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति पर धारा 413 (1) के प्रावधानों द्वारा विचार नहीं किया गया है।नियुक्ति के लिए एक प्रशासनिक अधिसूचना उस क़ानून के अनुरूप होनी चाहिए जो न्यायाधिकरण में नियुक्तियों को नियंत्रित करता है।

ई.

18. हालाँकि, इस स्तर पर जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करना चाहिए और कार्यकाल के विस्तार का निर्देश देना चाहिए, विशेष रूप से इस बीच हुए पर्यवेक्षण विकास को देखते हुए।

एफ.

19. पर्यवेक्षण विकास के दो पहलुओं को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है।सबसे पहले, एन. सी. एल. टी. के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति ने चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है।चयन के लिए जिन रिक्तियों को संसाधित किया जा रहा है, उनमें वे रिक्तियां शामिल हैं जो 20 सितंबर 2019 को नियुक्त किए गए सदस्यों के तीन साल के कार्यकाल की समाप्ति पर उत्पन्न होती हैं। 15 सदस्यों की एक किश्त के संबंध में, जैसा कि न्यायालय को सूचित किया गया था, चयन समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सिफारिशें ए.

जी.

एच.

राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

बनाया गया।नियुक्ति प्रक्रिया चार से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।15 रिक्तियों की दूसरी किश्त के लिए आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2022 है।इस पृष्ठभूमि में, किसी भी राहत का अनुदान चल रही चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगा।

20. इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि जब तीन साल के कार्यकाल में विसंगति का ध्यान भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति की ओर आकर्षित किया गया था, तो एनसीएलटी के अध्यक्ष से सदस्यों के "कार्य प्रदर्शन और उपयुक्तता" पर एक रिपोर्ट मांगी गई थी।20 अप्रैल 2022 की प्रारंभिक बैठक के बाद, चयन समिति ने 6 जून 2022 को अपनी बैठक में सदस्यों के कार्यों और कर्तव्यों की संवेदनशील प्रकृति, चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में किए गए सत्यापन और प्रदर्शन और उपयुक्तता पर रिपोर्ट के बारे में बताया।इसलिए केंद्र सरकार को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।इन कार्यवृत्तों के अनुसरण में केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें दो न्यायिक और छह तकनीकी सदस्यों के कार्यकाल को पांच साल की अवधि के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए बढ़ाया गया है।

बी.

सी.

डी.

21. याचिकाकर्ता की ओर से जो निवेदन किया गया है वह यह है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 417 सदस्यों को हटाने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करती है और यदि 20 सितंबर 2019 को नियुक्त किए गए सदस्यों में से कोई भी सदस्य निरंतरता के लिए अयोग्य है, तो हटाने की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।

ई.

22. इस तरह के तर्क को बार एसोसिएशन के अनुरोध पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब सदस्यों ने स्वयं इस न्यायालय का रुख नहीं किया है।इस तरह की याचिका का मनोरंजन करना उन सदस्यों के लिए परिणामों से भरा है जिनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है।कुछ ने चयन प्रक्रिया में नए सिरे से आवेदन किया है जो चल रही है।इसके अलावा, न्यायालय हटाने की स्थिति पर विचार नहीं कर रहा है, बल्कि उस स्थिति पर विचार कर रहा है जिसमें 20 सितंबर 2019 की विवादित अधिसूचना के अनुसार कार्यकाल समाप्त हो गया है।नियुक्ति की अवधि वैधानिक रूप से निर्धारित अवधि से कम होने के संबंध में मुद्दा केवल कार्यकाल के अंतिम अंत में और बार एसोसिएशन द्वारा उठाया गया है, न कि स्वयं सदस्यों द्वारा।

याचिकाकर्ता की दलीलों का मनोरंजन करना संयोग से न्यायालय को एक याचिका में व्यक्तिगत सदस्यों की उपयुक्तता, चरित्र और प्रदर्शन के मूल्यांकन में ले जाएगा, जिसमें वे पक्षकार नहीं हैं।इस तरह की कवायद, परिस्थितियों में, पूरी तरह से अनुचित होगी।

एफ.

जी.

एच.

1130 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 6 एस. सी. आर.

23. मद्रास बार एसोसिएशन (2020) (ऊपर) में, चुनौती

न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 की संवैधानिक वैधता के लिए था, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि सदस्यों को न्यायाधिकरणों में अधिकतम चार साल के कार्यकाल के लिए या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाए।इसी तरह, मद्रास बार एसोसिएशन (2021) (उपर्युक्त) में, न्यायाधिकरण सुधार (तर्कसंगतकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 की धारा 12 और 13 और वित्त अधिनियम, 2017 की संशोधित धारा 184 और 186 (2) को चुनौती दी गई थी, जिसमें संबंधित न्यायाधिकरण को चार साल के कार्यकाल के लिए प्रावधान किया गया था, जिसमें अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों के लिए 67 वर्ष थी।रोजर मैथ्यू (ऊपर) ने न्यायाधिकरण नियम 2017 की अनुसूची के प्रावधानों पर विचार किया, जिसका कार्यकाल तीन साल का था।इन सभी मामलों में, न्यायालय ने अपनी स्थिति को दोहराया, जैसा कि उसने पहले भारत संघ बनाम आर. गांधी, 6 में भी कहा था कि नियम जो एक छोटे कार्यकाल को निर्धारित करते हैं, जांच लंबित रहने और प्रतिरक्षा की कमी के साथ नियमित निलंबन के प्रावधानों के साथ न्यायाधिकरणों की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा, ऐसे नियमों में छोटी अवधि भी न्यायिक अनुभव की खेती को रोकती है।

बी.

सी.

डी.

24. वर्तमान मामले में, नियमों या क़ानून के प्रावधानों को कोई चुनौती नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने इसके बजाय सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की है, जो इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए पक्षकारों को याचिका नहीं दे रहे हैं। विस्तार के लिए प्रार्थना भी एक विलंबित चरण में है जब सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है।सदस्यों ने न केवल तीन साल की अवधि के लिए इस पद को जानबूझकर स्वीकार

किया था, बल्कि चयन समिति ने पहले ही सरकार को प्रदर्शन रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।केंद्र सरकार ने तदनुसार दो न्यायिक और छह तकनीकी सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए 14 जून 2020 को अधिसूचना जारी की है।इसके अलावा, वर्तमान परिस्थितियों में, एन. सी. एल. टी. के सदस्यों की नई नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और आंशिक रूप से एक उन्नत चरण में है।तदनुसार, वर्तमान स्तर पर इस न्यायालय के आदेश चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेंगे।

ई.

एफ.

जी.

25. जबकि तीन साल की अवधि निर्धारित करने वाली 20 सितंबर 2019 की अधिसूचना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 413 के अनुरूप नहीं थी, हम ध्यान देते हैं किः

6 (2010) 11 एससीसी 1 ए

एच.

1131

राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

(i) अधिसूचना के तहत नियुक्त सदस्य चुनौती देने में विफल रहे।

((ii) चयन की एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ सदस्यों ने नए सिरे से आवेदन किया है; और

(iii) केंद्र सरकार ने कुछ सदस्यों के प्रदर्शन और उपयुक्तता पर एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की है।

बी.

26. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, वर्तमान मामले में अपनाई जाने वाली उचित कार्रवाई यह होगी कि चयन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी जाए ताकि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।बार एसोसिएशन, जिसने इन कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया है, का हित यह है कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को तेजी से भरा जाना चाहिए ताकि काम प्रभावित न हो और न्यायाधिकरण के कामकाज में बाधा न आए।बार एसोसिएशन के पास इस संबंध में कोई विकल्प नहीं हो सकता है कि ट्रिब्यूनल का सदस्य कौन होना चाहिए।

सी.

डी.

27. हालाँकि हम निर्देश देते हैं कि भविष्य में एन. सी. एल. टी. में नियुक्तियाँ करने में, केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 413 में सन्निहित वैधानिक प्रावधानों से बाध्य होगी।

28. जिन कारणों से हमने ऊपर संकेत दिया है, हम 20 सितंबर 2019 को नियुक्त किए गए सभी 23 व्यक्तियों के कार्यकाल को 65 वर्ष की आयु सीमा के अधीन तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।हालाँकि, यह उस अधिसूचना को प्रभावित नहीं करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा 14 जून 2022 को जारी की गई थी, जिसमें आठ सदस्यों के कार्यकाल को पाँच साल की अवधि के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया था।

ई.

एफ.

29. तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है।

30. 2022 के आई. ए. सं. 97722 (हस्तक्षेप के लिए) में आवेदक के अधिवक्ता ने मध्यस्थ आवेदन को वापस लेने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी है।वार्ताकार आवेदन को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है।31. हस्तक्षेप/अभियोग आवेदनों सहित लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

जी.

देविका गुजराल

याचिका का निपटारा किया गया।

एच.